International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 4; April 2016; Page No. 146-151

मांझी जनजाति की परम्पराएं एवं आजीविका विकास की समस्याएंः एक विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. तृप्ति मांझी

जनजातीय अध्ययन विभाग, रानी दुर्गावती विष्वविद्यालय, जबलपुर

प्रस्तावना

अनेक भूगर्भवेत्ताओं एवं नृजातीय विद्वानों के अनुसार पृथ्वी एवं भारत में पाये गये कंकाल व कपाल आदि के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि 1 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व मानव जातियां विद्यमान रही हैं, जिनमें प्रमुखतः हब्बी और निषाद मानव जातियां भी रही हैं। कुछ इतिकारों के अनुसार ये क्रमषः भारत में पदार्पित हुई हैं। ई.पू. 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व का काल भारतीय आर्य काल रहा है। द्रविड़ आर्यों के पूर्व आये, तदुपरान्त अनेकों जातियों ने भारत में पदार्पण किया है।

रांगेयराघव के अनुसार पृथ्वी में जीव एवं मानव के वैकासिक क्रम में लाखों वर्षो में अनेकों युग आये और गये। जैसा कि उपरिदर्षित है कि हब्षी एवं निषादों का अस्तित्व 1 से 15 लाख वर्ष की अवधि में पाया जाना माना गया है। इस प्राचीन निषाद जाति का नाम ऋग्वेद कालीन आर्यों ने दिया है, जो आर्यों के पदार्पण पूर्व भारत में विद्यमान आदिम जातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। हिन्दी विष्वकोष के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित है, कि निषाद प्रजाति–''जन'' के संबंध में यास्क ने ''चत्वारो वर्णाः पंचमो निषादः'' के रूप में व्याख्या की है। इसका आषय यह है कि आर्यों के चार वर्ग के अतिरिक्त निषाद पांचवीं ''जन''जाति रही है, जो स्पष्टरूप से भारत की समस्त जनजातियों के लिये प्रयुक्त है। निषाद एकमात्र ऐसी प्राचीन मानव प्रजाति है, जो आज भी एक जाति विषेष के रूप में रूढ़ है। इसकी वंषज अनेक आदिम जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं, लेकिन मूल आदिम जनजाति निषाद अनुसूची में नहीं है। भगवान सिंह के अनुसार दक्षिण–पूर्व एषिया और आस्ट्रेलिया से समुद्री मार्ग से आस्ट्रिक (आग्नेय), प्रोटो–आस्ट्रेलायड (निषाद) आदि अनेक जनों का आगमन हुआ है। वैदिक एवं पौराणिक साहित्यों में अनेकों जातियों का उल्लेख पाया गया है जो आज के नये नामों से जाति और जनजाति के रूप में पायी गयी हैं। पाष्चात्य व आधुनिक विद्वानों ने इन आदिम जातियों को यथा– कोल, मुण्डा, संताल, भील, गोंड आदि अनेक नाम दे दिये। सैकड़ों वर्षों का कालखण्ड व्यतीत हुआ और प्राचीन आदिम जातियां नये जाति नामों में रूढ़ हुई हैं, अनेक प्रजातियों से जातियों, जातियों से उपजातियों, समूहों, विभागों, उपविभागों, अनुभागों की व्युत्पन्नता एवं विभाजन के अनेक पारिस्थिक कारण हैं।

संविधान अनुसूचित जनजाति आदेष अधिनियम 1950 की अनुसूचित जनजाति की देष और राज्य की अनुसूचियों में समय–समय पर संषोधन हुये हैं, जिसमें जनजातियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई है। फलस्वरूप आदिम जातियों के प्रकार दो हो गये हैं – पहली, वे जो अनुसूची में सम्मिलित हो चुकी है और दूसरी, वे जो अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। लेकिन अनेक आदिम जातियां हैं जो अनुसूची में सम्मिलित होने हेतु प्रयत्नषील है। उनका निरन्तर दावा बना है, कि जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, उनके लक्षण, षारीरिक संरचना, निवास, उत्पत्ति, गोत्र, टोटम, धर्म, देवी–देवता, रक्त मिश्रण, पर्यायता, जीवन–चक्र (जन्म, विवाह, मृत्यु) के संस्कार, वैवाहिक संबंध, वधुमूल्य प्रथा, जातीय संगठन, तीज–त्यौहार, लोक परम्पराएं, बोली, परम्परागत पेषों की साम्यता आदि के आधार पर कालान्तर में कुछ और आदिम जातियां भी अनुसूची में सम्मिलित हो सकती हैं।

एम0 ए0 षेरिंग, 1872, जे0 किट्स 1985 , विलियम कुक 1896, आर0 व्ही0 रसेल एवं हीरालाल 1916, एच.एच रिजले, के0 एस0 सिंह 1992 के संदर्भ साहित्यों एवं भारत की जनगणनाएं आर0 व्ही0 रसेल 1901, जे0 टी0 मार्टिन 1911, ई0 लुआर्ड 1921, एवं जे0 एच0 हट्टन 1931, ने जनजातियों के संबंध में विस्तृत प्रकाष डाला एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

जनजातियों को आदिमजाति, आदिवासी, वन्यजाति आदि पर्याय षब्दों से संबोधित किया जाता है। सामान्यतः इनके संबंध में यह माना जाता है कि इनका निवास वन व पर्वतीय क्षेत्र है। भले ही वे जहां भी निवास करते हों, लेकिन नदियों एवं नालों से उनकी सामीप्यता अनिवार्य रूप से रही है; क्योंकि जल जीवन के लिये अनिवार्य तत्व है। यह स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में जनजाति अपनी आजीविका के लिये वन आधारित अनेक पेषे करती रही हैं, लेकिन नदी का सान्निध्य होने पर मांझी के समान ही मछली पकड़ने का परम्परागत पेषा भी करती है। प्रायः अनेक जातियों ने घरेलू उद्योग अपनाये, जिससे वे अपनी मूल जनजाति से पृथक होकर स्वतंत्र जाति बन गई।

लोकुर कमेटी 1967 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जनजातियों का निवास क्षेत्र न केवल पर्वतीय क्षेत्र है, अपितु वे मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवाास करती हैं। वे प्रायः खेतीहर मजदूरी, फार्म सर्वेन्ट, हलवाही, चरवाही आदि करती रहीं है। वर्तमान में सहज ही देखा गया है, कि जनजातियां रोजगार की तलाष में न केवल समीपवर्ती राज्य के महानगरों में अपितु देष के समस्त राज्यों के महानगरों के भवन, सड़क, सेतु, नदीय बांध परियोजनाओं के निर्माण, उद्योगों, कोयला व खनिज खदानों आदि व बोझा, रिक्षा, ठेला, परिवहन आदि श्रममूलक कार्य करते–करते आजीविका के स्थायित्व कों अनुभूत कर जहां थी, वहीं ही बस गयीं

भारत में निषाद, मांझी–मात्स्यिक जातियों का प्रजातीय आधार

''हिन्दी विष्वकोष'' खण्ड–4 में ''जाति'' व ''प्रजातीय तत्व'' में दर्षित किया है, कि संभवतः भारत के प्राचीनतम निवासी निग्रिटो के बाद पदार्पित निषाद (आस्ट्रिक) मानव थे। निषादों का मिश्रण छोटी जातियों में अधिक है और कोल, संथाल, मुण्डा, भील आदि जनजातियां इसी वंष की हैं। कालान्तर में निषाद, किरात, द्रविड़, आर्य आदि में रक्त–मिश्रण हुआ है। इसके ही खण्ड–6 : ''निषाद'' में इसे अतिप्राचीन संस्कृत भाषा षब्द माना है और लेख किया है कि वैदिक युग में निषाद जलयानों द्वारा यातायात, आयात–निर्यात कर्ताओं में रूढ़ था। द्रविड़–समुद्री व्यापारी भी निषाद कहलाते थे। लोक भाषा में निषादों को केवट–मल्लाह कहते हैं, जो नदियों में नौका–व्यापार करते हैं। पूर्व में निषाद राजाओं के पास हजार–हजार नाव के बेड़े होते थे। ऐसे ही एक निषादराज ने वनवास के समय श्रीराम की सेवा की थी। अति प्राचीन युग में दक्षिण–पूर्व एषिया से आने वाले समुद्री व्यापारी–प्रधान द्रविड़ों को पहले निषाद नाम दिया गया था और कालान्तर में द्रविड़। देव–असुर संग्राम में निषाद

(द्रविडों) को असुरों का अभिर्भव करने के सहयोग हेतु आव्हान किया गया। ऋग्वेद की एक ऋचा है –

तदथ वाचः प्रथम मंसीय, येनासुरां अभिदेवा असाम्।
उजति उत यज्ञिवासः पंचजना मम होत्र जुषध्वम् ।

''पंचजना मम होत्र जुषध्वम्'' के पंचजन की व्याख्या यास्क ने अपने निरूक्त में – ''चत्वारो वर्णाः पंचमो निषादः'' की है। जिसका अर्थ चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य, षूद्र और पांचवा निषाद है। (पंचायत की अवधारणा यहीं से है) आगे लेख है कि आस्ट्रिक भी निषाद ही हैं। आस्ट्रिक दक्षिणात्य निषाद (या द्रविड़) ही हैं। पृथक आस्ट्रिक की कल्पना निराधार है।

हट्टन जे. एच. तथा सिंह के. एन. ने ''सेन्सस ऑफ इण्डिया –1931'' ''दि रेसियल एफिनिटीज ऑफ दि पीपुल्स ऑफ इण्डिया'' के 'इन्ट्रोडक्षन' में रामप्रसाद चांदा के हवाले लेख किया है कि निषाद आज तक वन पर्वतीय क्षेत्र में बसे हैं, उन्हें आदि द्रविड़, प्रोटो आस्ट्रेलायड तथा वेड्डाइड आदि विभिन्न नाम दिये गये हैं, लेकिन इनमें वैदिक आर्यों द्वारा प्रदत्त निषादिक वर्गीय कोई भी उचित नाम देखने में नहीं आया, जिसे मि. चांदा द्वारा पुनर्जीवित किया गया है।

''हिन्दी विष्वकोष'' खण्ड–6 में निषादों को जहां दक्षिणात्य निषाद और आस्ट्रिक कहा है, तो वहीं भगवान सिंह ने ''भारतीय सभ्यता की निर्मिति'' में दर्षित किया है कि मनुष्य ने पचास–साठ हजार वर्ष पूर्व समुद्र पार करने का साहस किया था, खेती और पषुपालन के पूर्व मत्स्याखेटन होता था। नौका निर्माण में दक्षिण–पूर्व तथा दक्षिण एषिया और आस्ट्रिक (आग्नेय) जनों की भूमिका रही है, जिन्हें हम निषाद और समुद्रपुत्र के रूप में जानते हैं। मत्स्याखेटन के लिये ये भारतीय समुद्रतटों पर फैल गये। भारतीय इतिहास में नौकाचालन का अधिकार इनके पास ही रहा है।

डॉ विजयकुमार तिवारी ने ''भारत की जनजातियां'' में जनजातियों की भाषा के आधार पर वर्गीकरण में लेख किया किया है कि हैडन ने भारत में प्राक्–द्रविड़, द्रविड़, इण्डो–अल्पाइन, मंगोल, इण्डो–एरियन एवं हट्टन जे. एन. ने अधिकांष आस्ट्रेलायड और अल्पांष निग्रिटो होना पाया है तथा कुछ विद्वानों के हवाले लेख है कि प्रस्तरयुगीन संस्कृति का निर्माण प्रोटोआस्ट्रेलायड प्रजातीय मुण्डा भाषा–भाषी लोगों ने किया है। नदीम हसनैन ने ''जनजातीय भारत'' में गुहा के संदर्भ में छः मुख्य प्रजातियों तथा उनके नौ वर्गो के वर्गीकरण में निग्रिटो और आद्य–आस्ट्रेलायड माना है तथा आद्य–आस्ट्रेलायड में मध्यभारत व दक्षिण भारत की चेंचू, भील आदि जनजातियों का होना माना है।

कुबेरनाथ राय की ''निषाद बांसुरी'' में लेख है कि असम, बंगाल या अन्य प्रदेषों की निषाद जातियों में धीवरों, तियरों और मध्यप्रदेष के मुण्डा, कोल आदि को माना जाता है। उत्तर भारतीय निषाद जो आमतौर पर निषाद कहलाते हैं, मूलतः आस्ट्रिक या निषाद कोणीय नस्ल के हैं और भारतीय धरती के आदिमालिक हैं, जो अपनी आदिम भाषा–भूसा त्याग चुके हैं, जो आज मुण्डा कोल आदि मध्यप्रदेष के आस्ट्रिकों या निषादों में विद्यमान हैं। मल्लाह षब्द पेषावाचक है। महिषबली, दुर्गा व षीतला पूजा निषाद संस्कृति की देन है। कहने का तात्पर्य है कि आज की भारतीयता का पिता आर्य है, पितामह द्रविड़ और प्रपितामह निषाद है। मध्यप्रदेष पाठ्य पुस्तक निगम की ''सामान्य अध्ययन'' भाग–4 तृतीय संस्करण 1973 के खण्ड – इतिहास'' अध्याय 1 ''सिन्धुघाटी की सभ्यता'' के धातुकाल में दर्षित है कि पाषाणकाल की सभ्यता की नींव निषादों ने डाली है, जो कालान्तर में मुण्डा, षबर, कोल, भील कहलाये, जिनके वंषज मध्यप्रदेष, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जंगलों में बसे हैं। ''वैदिककाल का जीवन'' में जहां सिंधुघाटी में द्रविड़ों की सभ्यता विकसित हो रही थी, वहीं अन्य स्थानों में कोल, किरात, मुण्डा, षबर, यक्ष, नाग और निषाद जातियां निवासरत रही हैं।

विद्वानों के उक्त संदर्भो से स्पष्ट है कि निषाद ही आस्ट्रिक (आग्नेय), आस्ट्रेलायड, प्रोटोआस्ट्रेलायड (आद्य या प्राक् आस्ट्रेलायड) है और जो कालान्तर में पदार्पित कोल, मुण्डा, संथाल, भील आदि हैं। यह भी स्पष्ट है कि भारत में निषाद अतिप्राचीन मात्स्यिक तथा नाविक मानव प्रजाति है।

पौराणिक साहित्यों में निषाद एवं मांझी तथा मात्स्यिक जनजातियों का उल्लेख

ऋग्वेद के 53 वे अध्याय के ऋषि विष्वामित्र के छन्द–त्रिष्टुप, गायत्री में लेख है, कि ''ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य, षूद्र तथा निषाद यह पांचो वर्ण षत्रुओं को जीतने वाले मित्र देवता के प्रति आदर समर्पित करें।'' यास्क की उक्त व्याख्या इसी ष्लोक में आये निषाद से संदर्भित है। यजुर्वेद के 30 वे अध्याय में धीवर, निषाद, मत्स्यजीवी, कैवर्त, मात्स्यिक, भील तथा किरात का उल्लेख आया है। रांगेयराघव के ''प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास'' के ''सतयुग'' में वैदिक युग की जातियों – निषाध, मत्स्य, कैवर्त, केवर्त, निषाद का उल्लेख है।(142) निषाध नरेष नल का दयमंती से विवाह हुआ था। इनके ही ''महायात्रा गाथा'' के अध्याय – 3 के परिषिष्ट में लेख है कि आग्नेय जातियों के बाद द्रविड़ों का काल था। 15000 ई. पू. ये जातियां पृथ्वी एवं जल मार्ग से यात्रायें करती थी। (266)

विद्वानों के उपरिदर्षित तथ्यों के अनुसार जहां एक ओर तो निषाद मानव को 1 से 15 लाख वर्ष अवधि का अतिप्राचीन भारतवासी होना दर्षित किया गया है, तो पौराणिक मिथक उससे पूर्णतया भिन्न है। वामनपुराण, संक्षिप्त महापुराण, श्री श्री विष्णु पुराण, पद्मपुराण, स्कंन्द पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भक्त चरितांक में प्रकारांतर की वंषावलि युक्त कथाओं में ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु से ध्रुव की वंष परम्परा में राजा वेन हुआ, जिसकी ब्राह्मणों –ऋषियों द्वारा वध–कथा भी प्रकारान्तरित है। उसकी मृत्यु उपरांत राज्य संचालन हेतु उसकी जंघा के मंथन से उत्पन्न काले–नाटे पुरूष से कहा – ''निषीदतु भवान'' प्रकारान्तर से– ''निषीथ'' ''त्वं निषीध'' अर्थात बैठ जा। इसका आषय यह दर्षित है कि निषाद जाति की उत्पत्ति राजा वेन के मृत षरीर से हुई है। तार्किक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि पृथु और निषाद दो वीरों का चयन हुआ, निषाद को विन्ध्याचल राज्य का दायित्व सौंप दिया गया। भूगर्भ व मानवषास्त्रियों तथा पौराणिक कथा संदर्भ अत्यधिक विरोधभाषी है।

त्रेतायुग में श्रीराम के वनगमन में श्रृग्वेरपुर के निषादपति गुह द्वारा नौका से गंगापार उतारना व सत्कार करने का प्रसंग अत्यधिक लोकप्रिय तुलसीदास कृत रामायण तथा अन्य रामायणों में सादर उल्लेखित है।

रांगेयराघव के ''प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास'' के ''त्रेतायुग'' में दर्षित है कि निषाद सषक्त थे, दबे नही तो इन्हें पांचवा वर्ण तक माना गया है। कालान्तर में यह आवष्यक हो गया कि विष्वजित यज्ञ करने के पूर्व आर्यों को निषादों के ग्रामों में रहकर मित्रता करना चाहिये। विमलचरण ला के हवाले उल्लेखित है कि निषाद का अर्थ केवल आदिम निवासी नहीं है, अपितु आर्य विष्वजित यज्ञ तो तभी कर सकत थे, कि जब अपनी टक्कर के लोगों को मित्र ना बना लें। निषादों एवं आर्यो का संबंध रहा है। निषादों का गंगातीर पर राज्य था, राजधानी श्रृंग्वेरपुर थी।(186, 187)

रांगेयराघव की ''महायात्रा गाथा'' के ''द्वापर युग – महाभारत युद्ध काल'' में गंगा जमुना के उपजाऊ मैदान में गरूड़, नाग, निषाद, यक्ष, गंधर्व आदि भी पाये गये। (170) अध्याय – 3 ''देवयुग का अंत'' परिषिष्ट में दर्षित है कि इस समय असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, वानर, ऋक्ष, नाग, किन्नर, गरूड़ आदि जातियां जीवित थीं और निषाद, भट व अनेक अनार्य जातियां आर्यो को मिल चुकी थी। पृथु वैन्य ने ब्राम्हणों से मित्रता की और खेती बढ़ाई। (412) इनकी ही ''प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास'' के ''देव

असुर–किरात युग'' में उल्लेखित है कि गरूड़ ने समुद्र के बीच वासी मल्लाहों का नाष किया। ये निषाद थे (111)। (146) तुलुव की परम्परा है कि परषुराम ने समुद्रयुक्त धारा को बसाने कुछ कैवर्तों को ब्राम्हण बना लिया था। ''द्वापरयुग'' में दर्षित है कि विन्ध्य से गंगा पूर्व की ओर उपक, निषाद, किरात, कालंजर आदि प्रदेषों से होकर समुद्र में गिरती है। सहदेव ने निषादों आदि को पराजित किया। (225) युधिष्ठिर के साम्राज्य के अधीन कुलिन्द, बाल्मीक, किंपुरूष, पुलिंद, निषाद आदि प्रदेष थे। महाभारत युद्ध के गीतों का सम्पादन पाराषर–सत्यवती पुत्र कृष्णद्वैपायन ने किया। (307) आर्य–अनार्य के परस्पर विवाह के वंषावली विवरण में षान्तनु की द्वितीय पत्नी सत्यवती (अन्य नाम काली और गंधकाली) से चित्रांगद व विचित्रवीर्य की विधवा अम्बिका, अम्बालिका से व्यास द्वारा धृतराष्ट्र, पाण्डु व विदुर हुये। धृतराष्ट्र तथा पाण्डु के पुत्र कौरव–पाण्डव हुये। (238) निषाद कन्या का विवाह क्षत्रिय से हो सकता था। (239) महाभारत के 106 अ0 – सत्यवती से भीष्म ने ब्राम्हण बुलाकर वंष चलाने हेतु कहा, तब सत्यवती ने भेद खोला कि जब वह निषाद घर में थी, तब कानीनावस्था में व्यास हुआ था। ब्राम्हण निषादों से ब्याह करते थे। (240) निषाद पति हिरण्यधनु पुत्र एकलव्य का दक्षिणा में द्रोण ने अंगूठा कटवा लिया था। इसी निषादराज एकलव्य को कृष्ण ने मारा था। (249) राजसूय यज्ञ में अर्जुन ने उत्तर दिषा के अनेकों राजाओं के साथ ही मलेच्छ, भीम ने पूर्व दिषा में वत्सभूमि, भर्गराज, निषादपति सुहनाधिप समुद्रतटवर्ती मलेच्छों, को जीता। सहदेव ने दक्षिण में निषाद भूमि, समुद्र के टापुओं के मलेच्छ राजा, निषाद आदि तथा नकुल ने पष्चिम दिषा में अनेकों के साथ कैवर्त, समुद्री टापुओं के दारूण मलेच्छ जीते। (267 से 269) 48 वें अध्याय में श्री कृष्ण के पराक्रम के वर्णन में निषादराज एकलव्य को मारने (287) कृष्ण और अर्जुन के द्वारा अनेक असुर राक्षस और निषादों को मारने (290) तथा 197 अध्याय में जयद्रथ का सिर काटकर निषादों की बस्ती में फेंकने का उल्लेख है। (300) षिकारी, मछुए, हलवाई, जहाजी आदि अलग–अलग बढ़ने लगे। (300) ''कलियुग'' में दर्षित है कि प्राचीनकाल में सषक्त निषाद जाति की षक्ति क्षीण हो चुकी तथा स्त्री और विवाह संबंध बदल गये। (313)

रांगेयराघव के उक्त इतिहास में बी0पी0 काने की 1000 ई0पू0 की वर्ण, जातियों और धंधे के आधार पर बनायी गई सूची में कैवर्त, धैवर, निषाद या नैषाद तथा 500 ई0पू0 की जातियों की सूची में दास (मछुए), धीवर, नैषद (चातुर्वण्य के अतिरिक्त), मत्स्यबंधक, भिल्ल सम्मिलित है। (403 से 404) अनेक अनार्य आमीर, दरद, कारूष, कुलट, कुलिन्द, बर्बर, मुरूण्ड, निषाद आदि स्थान परिवर्तन करती रहती थीं। (443)

जनगणना एवं सर्वमान्य संदर्भ साहित्यों में मांझी तथा मात्स्यिक जनजातियों के परम्परागत पेषे

विद्वानों के उपरिदर्षित तथ्यों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है, कि आग्नेय दिषा से मत्स्याखेटन, आखेटन, कृषि, पषुपालन करते हुए अतिप्राचीन मानव प्रजाति निषाद भारतभूमि में पदार्पित हो समुद्रतटों और नदियों में फैल गयी और अपने मूल व्यवसाय में रत हो नयी संस्कृति का सृजन करने लगी। कालान्तर में आयी अनेक आग्नेय जातियों के कबीले–समूहों के साथ ही साथ क्रमषः द्रविड़, किरात, आर्य आदि अनेक प्रजातियों के आगमन पर परस्पर रक्त मिश्रण हुआ। समाज की आवष्यकताओं के अनुसार पूर्व से बनी व्यावसायिक जनजातियां–जातियां निरन्तर उत्पन्न–व्युत्पन्न होती गई। स्थान परिवर्तन से कर्म–व्यवसाय परिवर्तन से एक ही जाति अनेक उपजातियों, समूहों, विभागों तथा उपविभागों में विभक्त होती गई और नाम परिवर्तित करती गयी। नदियों से वन–मैदान तथा वन–मैदान से नदियों में प्रवर्जन से भी पेषा और जाति नाम परिवर्तित होते चले गये। निषाद के अतिरिक्त आग्नेय, द्रविड़, किरात आदि ने भी समुद्र नदियों के सानिध्य से मत्स्याखेटन–नौकाचालन का पेषा अपनाया, जिससे वे भी निषाद के रूप में पहिचाने जाने लगे।

रागेयराघव ने उल्लेखित किया है कि बी0पी0 काने ने 500 व 1000 वर्ष ई0पू0 की जातियों जिनमें वैदिक कालीन भी सम्मिलित है, उनमें कैवर्त, केवर्त, धैवर, धीवर, मत्स्यजीवी, मत्स्यबंधक आदि है, उन्हीं के साथ सम्मिलित निषाद, नैषद (चातुर्वण्य से पृथक) के अतिप्राचीन मत्स्याखेटन तथा नौका व्यापार के कारण आर्यों द्वारा प्रदत्त कालान्तर के नये नामों से रूढ़ हुई है।

भारत की जनगणना 1901 सेंट्रल प्रोविसेंस में गोहकमांझी, महिया, मझही, मझिया, माझी, मांझी तथा मझवार को केवट एवं धीमर में समाहित माना है, लेकिन संविधान अनुसूचित जनजाति आदेष 1950 में मांझी और मझवार अनुसूचित जनजाति में तथा जनगणना 1961 (उत्तरप्रदेष) के ''प्रगणकों के निर्देष'' पर अनुसूचित जाति की सूची के मझवार की पर्यायवाची मांझी, केवट, मल्लाह, राजगोंड, गोंड मझवार आदि को माना है। मध्यप्रदेष षासन द्वारा प्रकाषित ब्रोसर ''दि ट्राइब्स ऑफ मध्यप्रदेष'' (1964) में मत्स्याखेट करते सचित्र आलेख ''मझवार'' में उल्लेखित है कि मांझी जनजाति अपने मछली पकड़ने और नौका खेने के पेषे की विषेषता के कारण पृथक से जानी जाती है। विलियम क्रुक (1896) ने ''मझवार मांझी, गोंड मझवार'' में केवल दक्षिण मिर्जापुर के मांझी को गोंड, द्रविड़ियन दर्षित किया है, लेकिन अन्य का कोई उल्लेख नहीं किया। ''मल्लाह'' में केवट, धीमर, मल्लाह, मांझी आदि को एक ही जाति माना है तथा यह भी लेख किया है कि विन्ध्याचल पर्वत की पहाड़ी वन्यजाति निषाद की प्रतिनिधि जाति है। आर.व्ही. रसेल तथा हीरालाल (1911) के ''मझवार'' में जनजातीय नौका अभियान के डाण्डधारी (स्टीयरमेन) मुखिया को मध्य में बैठने कारण मांझी षब्द रूढ़ हुआ, साथ ही रायगढ़, सरगुजा के मांझी को मछुआ नाविक तथा कोलो द्वारा मत्स्याखेट का पेषा अपनाने के कारण ''मत्स्य'' से मांझी होना तथा कभी केवट का वर्ग होना दर्षित किया है। एच. एच. रिजले (1891) में बिहार तथा पष्चिमी बंगाल की मछुआ–नाविक जातियां यथा– कैवर्त, कहार, तियोर, पटनी, कोछ, बागदी, माला, जलिया, बौरी, खरवार व मालो में पद सूचक जाति नाम तथा कादर में उपविभाग के रूप में हैं। संथालों में भी मुखिया मांझी कहलाता है, लेकिन तभी तक जब तक वह मुखिया रहता है। बी. सी. मजूमदार एवं डी. एन. मजूमदार ने कोलों के कुछ ग्रामों के मुखिया को मुण्डा तथा कुछ मुण्डा लोगों के मुखिया को मांकी कहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि जिन मुखिया को मांझी कहा जाता है, वे वास्तव में मांकी हैं।

बघेल डी. एस. ने ''समाजषास्त्र के मूल तत्व'' में ''भारत की वन्य जातियां'' में मध्यभारत जिसमें मध्यप्रदेष, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा है, उसमें भोई या धीमर को वन्य जाति माना गया है। मध्यप्रांत और बरार सरकार के 'मध्यप्रांत में सम्मिलित रियासतों का भूमि अधिकार नियम' की अधिसूचना दिनॉक 31–3–1949 तथा इसके राजस्व विभाग, मध्यप्रदेष खाम विलेज (अपाइन्टमेंट ऑफ पटेल) एक्ट 31/1950– दोनों की ''आदिवासी जाति'' की अनुसूची में गोंडिया, केवट, कोली (धीमर), मझवार एवं मांझी को घोषित किया गया है।

मछली पकड़ने तथा नाव खेने के आदिम पेषा के अतिरिक्त अन्य पेषा करने वाली जातियों व जनजातियों में एम. ए. षेरिंग (1874) ने मल्लाह, केवट, मझिया, भोई मराठी व कहार, कन्हार कोल, गोवाइद, कामकार, कोली, महादेव कोली, भील कोली, मेत्ताह कोली, सोनेकोली, ठाकुर कोली आदि तथा आर.व्ही. रसेल एवं हीरालाल (1911) ने धीमर, कहार, भोई, पालेवार, बरउआ, मच्छन्दर, कहार, केवट–खेवट–कैवर्त मल्लाह, गोंड, बिझवार–बिंझल, इंझवार, खरिया, कोली, कोळी, भील, सोनझरा–झरा–झोरा–झीरा आदि पर लेख किया है। भील को निषाद से संबंधित कहा है। षेष को अनार्य तथा आदिम

जनजाति से उत्पन्न होना माना है। मध्यप्रदेष षासन के ब्रोसर – ''दि ट्राइब्स ऑफ मध्यप्रदेष'' (1964) में मझवार (मांझी, मझिया), आबूझमाडिया, बैगा, दोरला, गोंड, कमार, ओरांव आदि तथा विलियम क्रुक (1896) में मल्लाह, कहार, गोरिया–गुरिया, तियार–तियोर, गोंड–गोंर, बिन्द चाई–चाईं–चाइनी, मुरिया–मुरियारी, कदेरा–कादर, केवट, मुसहर, सोरहिया–सुरहिया–सुरया, थारू आदि तथा के. एन. सिंह (1948) ''इन्डियाज कम्युनिटी'' में देषभर की केउटा, केओट–केवट–केउट–केबोट, मांझी तथा ''दि षेड्यूल कास्ट्स'' में बागली, दुले, बघेती, भरतर–भरथर, भोवी, बिन्द–बिन, दरैन्डरैन, दौले, देआलो, गोड, गोरही, गोंरही, हीरा, जलिया कैवर्त, जालिया कैवर्त, जलिया, जेलेया कैवर्त, जलकेवट, झालो, मालो, माला, झाला, कहार, कैबर्ता, कैबर्त, काओरा–केओरा, केउट, खैरा, महिष्यदास, मैला, मांझी (नेपाली), मल्लाह, नामसूद्र, तियार–तियर–तियोर तथा ''दि षेड्यूल ट्राईब्स'' में भातरा, बिंझल, बिंझवार, बिरहोर, धोदिया, दुबला, गामित, गोंड–झारे, कमार, कट्टूनायकन, खासीभोई, कोच, कोली मल्हार, कोया, डोरा, मांझी, मल्हार, मिषिंग–मिरी एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की अनेक जातियों का विवरण दिया है।

भारत की जनगणना 1931 मि. ज. एच. हट्टन ने रेस, ट्राईब्स एण्ड कास्ट की टेबुल गअपप तथा के. एन. सिंह (1948) ''दि षेड्यूल ट्राईब्स'' के वर्गीकरण में देश की समस्त जनजातियों को 11 प्रमुख समूहों में विभाजित किया है जिसका समूह क्रमांक 3 में कृषक, शिकारी मत्स्याखेटक एवं उद्यमी जनजातियों को सम्मिलित किया है जिसके अंतर्गत गौण समूहों में दक्षिण भारतीय, कोली, कोल, भील, उरांव, गौंड आदि के साथ पूर्वात्तर भारत की जातियां को रखा है और जिसके संदर्भ में लेख किया है कि ये प्रायः हिन्दुकृत हो चुकी है और जाति के रूप में स्थापित हो गई हैं। माझी और मंझवार जनजाति को कोल समूह ;डनदकेचमांपदह जतपइम दक भ्पदकप वत व्तपलं चमांपदह क्मतपअंजपअम बेंजम. 37ए 33ए 383द्ध की जनजाति माना है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि ये परम्परागत पेशेवर जनजातियां है और जिनका मुख्य पेशा कृषि, मछली पकड़ना और उद्योग करना है और यही कारण है कि ये अब जनजाति न रहकर जाति बन गई है और उन्होंने हिन्दु परम्परायें अपनाई है और हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक बोली बोलती हैं (पृष्ठ 522, 523, 524)।

मांझी जनजाति एवं समनामी/पर्यायवाची एवं उपजातीय समूहों का जीवन वृत्त

आदिम जातियों की पहिचान उनकी विशिष्ट शारीरिक रचना एवं रीति रिवाजों, परम्पराओं, सामाजिक संरचनाओं, संगठनों से होती है क्योंकि इनमें हिन्दुओं से भिन्नता पाई जाती है। मांझी–मंझवार सहित समस्त अनुसूचित जनजातियां तथा धीमर केवट समूह में हर दृष्टि से समानता है, जो इस प्रकार है –

1. **निवास स्थान** – भारत में निषाद द्रविड प्रजातियां दक्षिणी समुद्र तट पर समुद्री मार्ग से नौका द्वारा पदार्पित हुई और दक्षिणी प्रांतों से होकर उत्तर भारत के नदीय तटवर्ती, वन पर्वतीय एवं मैदानी भूभाग में फैलकर बसे गये अभी भी दक्षिण में इनका बाहुल्य है।
2. **निवास क्षेत्र** – ये समुद्रों से नदियों में प्रविष्ट हुए और पर्वतीय वनाचंल नदीय तटवर्ती एवं मैदानी क्षेत्रों में निवास करने लगे, जो आज भी है।
3. **टोटम** – उत्पत्ति के प्रतीक इन्होंनें पशु–पक्षी, पेड़ पौधे जीव जन्तु, नदी–पर्वत आदि माने है।
4. **ग्रोत्र** – आदि काल से ही ये कबीले के रूप में निवास करते थे। जिसके सदस्य भाई बहन होते थे। यसे वैवाहिक संबंध अपने कबीले के बाहर करते थे। कबीलों की पहिचान के लिये अपने कबीलों से नाम निर्धारित किये, जो गौत्र के रूप में रूढ़ हुये, इन्होनें गोत्र निर्धारित किये जो पशु–पक्षी, जीव–जन्तु, पेड़–पौधे, नदी–पहाड़ के नामों से टोटेमिक होते है। अनेकों में वस्तु–पदार्थ, स्थान, कर्म, क्रिया आदि के नाम पर भी है, जे टीटूलर माने जाते है।
5. **धर्म** – ये भूत–प्रेत, तंत्र–मंत्र पर अटूट विश्वास करते है। इनका धर्म जीववादी है।
6. **देवी–देवता** – हिन्दु देवी देवताओं से भिन्न है, जिनकी पूजा आज भी पशु बलि और शराब द्वारा की जाती है। पूर्व में मानव, गौ–भैस की भी बलि चढ़ाते थे। अब वे बकरा, मेढा, मुर्गा आदि की बलि चढ़ाते है।
7. **जीवन–चक्र के संस्कार** – जन्म घर की सियानी द्वारा कराया जाता है। विवाह बहिनोई – फुफा, मामा, मौसा बगैरहा कराता है। कुछ फेरे वधू के घर के बाद, कुछ वर के घर भी होते है। मृतक को दफनाया जाता है। जन्म, विवाह, पितृ मिलान में पशु बलि और भोज होता है। सहपलायन, घर जमाई, विधवा, देवर –भाभी, जीजा–साली विवाह होते है।
8. **वधु–मूल्य प्रथा** – हिन्दुओं की दहेज प्रथा के बिल्कुल विपरीत इनमें वर का पिता वधु के पिता को बधुमूल्य देता है। प्रत्येक जनजातियों में वधु मूल्य का प्रकार भिन्न–भिन्न है।
9. **मुख्य पेशे** – पेशों से स्पष्ट है कि धीमर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह आदि जाति नराम हिन्दु शब्दों के कारण जिन पेशों के आधार पर मिले वे सारे पेशे अनुसूचित जनजातियां भी करती है और जो पेशे अनुसूचित जनजातियां करती है वहीं धीमर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह आदि भी करते है।
10. **सामाजिक स्तरीकरण** – हिन्दु ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्व, इन्हें नीचा मानते है। कुछ तो ब्राम्हण क्षत्रीय के हाथ का खाना–पानी नहीं लेते। इनमें परस्पर ऊंच–नीच– समतुल्यता के स्तर है। ऊंच समतुल्य के हाथ का खाते है, निम्न से नहीं।
11. **इनके हाथ का पानी** – अनेक जनजातियां जनेऊ धारण करने लगी है और कुछ क्षत्रिय बन गई है। जिसके हाथ का खाना–पानी आदि नहीं लेते है। लेकिन वे जो ज्ञवच्छ नहीं है इसीलिये उनके हाथ से नहीं।
12. **वैवाहिक संबंध** – अपनी ही जाति में, लेकिन विषम गोत्रों में विवाह होता है। अंतजार्तीय विवाह में दंढ का प्रावधान है। जातीय कानून का उल्लघंन भी वर्जित है। बहिष्कार का भी दण्ड विधान है।
13. **बोली** –आस्ट्रिक (निषाद, मुध्डा, कोल, भील आदि) अपनी भाषा पूर्णतयः भूल चुके हैं। द्रविड भाषा जीवित है, लेकिन हिन्दी से पूर्णतया प्रभावित है। ये इण्डो आर्यन भाषा समूह की उडिया, राजस्थानी, गुजराती, मराठी और आंचलिक छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुन्देली, मालवी, निपाढ़ी आदि बोलते है।
14. **भौतिक सम्पत्ति** – घास–फूस या मिट्टी–बांस–लकढ़ी–खपरैल के एक या दो कमरे के मकान, बरामदा, मिट्टी की अनाज की कोठी, चकिां, ओखली–मूसल, मिट्टी के पानी एवं खाना बनाने में और काठ पत्तय या एल्यूमीनियम के खाने के बर्तन तथा कृषि, वनोपज, शिकार, मत्स्याखेट के उपकरण होते है।
15. **वेशभूषा** – पुरूष लंगोटी, लुगंड़ा (धोती), बंड़ी तथा स्त्रियां लुगड़ी, पोलका तथा बच्चे इनके पुराने फटे कपड़े पहने है। पूर्व में यह नग्न, अर्धनग्न रहते थे तथा बाद में पशु खाल, छाल, पत्ते धारण करते थे।
16. **आभूषण** – जंगली सामग्री, पशुओं की हड्डी–नाखून के होते थे। तदुपरांत नकली या चांदी के आभूषण पहनते थे।
17. **गोदना** – कुछ जातियां की स्त्रियों के सम्पूर्ण बदन में गोदना गुदवाया जाता है। सभी आदिमवासी जातियों मे गोदना प्रथा प्रचलित है। ये सब लुप्त सी हो रही है।
18. **आहार** – प्रायः कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सामा, हिरवा तथा वनोपज, कंदमूल, पत्तियां और बाडी में उगाई साग–सब्जी

खाते है।

19. मांसाहार – पूर्व में ये मानव गौ, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली सहित जीव–जन्तु और वन्य पशु का मांस खाते रहे है।

20. नशा – शराब, गांजा, तम्बाखू का सेवन अनिवार्य है।

मांझी जनजाति एवं समनामी/पर्यायवाची एवं उपजातीय समूह में परम्परागत व्यवसायिक तत्वों की उपस्थिति

मांझी–मंझवार अ.ज.जा. एवं धीवर केवट आदि जातियों और अनेकों अनुसूचित जनजातियों के पेशे की समानता से यह स्पष्ट होता है, जो जनजातियां हिन्दुओं के सम्पर्क में नहीं आ पाई, वे मूल नामों से बनी रही। लेकिन जो संपर्क में आ गई उनके नाम संस्कृत–हिन्दी नामों में परिवर्तित हो गये।

- दि ट्राईब्स एण्ड कास्ट्स इन बेंगाल – मि. एस.एच. रिजली 1892।
- हिन्दु ट्राईब्स एण्ड कास्ट्स एस. रिप्रजेन्टेड इन बनारस – मि. एम.ए. शेरिंग 1874
- दि ट्राईब्स एण्ड कास्ट्स, नार्थ वेस्ट प्रोविन्सेस – मि. बिलियम क्रुक 1896
- दि ट्राईब्स एण्ड कास्ट आफ दि सेन्ट्रल प्रोविन्सेस आफ इंडिया – मि. रसेल–हीरालाल 1916
- दि ट्राईब्स आफ मध्यप्रदेश – म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग 1964
- दि शेडयूल्स ट्राईब्स – मि. के. एस. सिंह 1982

मध्यप्रदेश के आदिवासी – डॉ. शिवकुमार तिवारी (म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी) आदि के अनुसार इनके पेषे निम्नानुसार है –

1. मछली मारना – धीमर, केवट, मल्लाह, इंझवार तथा अ.ज.जा. मांझी व मंझवार ।

2. नाव खेना – धीवर, केवट, मुरहा, नावड़ा, इंझवार, मांझिया तथा अ.ज.जा. मांझी व मंझवार ।

3. पालकी –डोली–बंधी–खरखरी ढोना – कहार, भोई, धीमर।

4. पानी ढोना–भरना – भोई, कहार, धीमर।

5. घरेलु सेवा या बर्तन मांजना – धीमर, कहार, भोई ।

6. खरबूज, साग–सब्जी, कृषि – धीमर, कहार, तथा अ.ज.जा. – कोल, कोली, भील, कोरबा।

7. बांस के बर्तन, चटाई, बोरे, सुतली, रस्सी, गेरूबा बनाना – मल्लाह, केवट, धीमर।

8. सोना/सिक्के झारना, बीनना – धीमर ।

9. विविध मजदूरी – भोई, कहार, धुरिया, धीमर, केवट।

10. पशु (गाय, घोड़ा, गधा) पालन – धीमर।

11. सुअर पालन – धीमर, कहार।

12. कोसा के कीड़े पालना – धीमर, केवट।

मांझी जनजाति एवं समनामी/पर्यायवाची एवं उपजातीय समूह के परम्परागत आजीविका विकास की प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियां

भारत में आदिवासी जीवन मे संस्कृति, विविधता और सभ्य समाज से भिन्नता के कारण पुरातत्व संग्रहालय की वस्तु समान प्रतीत होते रहे है। लोगों में एक ओर जहां इनके प्रति जिज्ञासा रही वहीं दूसरी ओर ये उपेक्षा और घृणा के शिकार रहे है। इनकी मुख्य समस्याएं निम्नानुसार है –

1. अशिक्षा
2. निर्धनता
3. बेरोजगारी और पलायन
4. कुपोषण
5. ऋणग्रस्तता
6. मत्स्य आखेट में पूंजीपतियों का वर्चस्व
7. बंधुआ प्रथा
8. आवास की कमी
9. सामाजिक कुरीतियां
10. नशा
11. दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन का अभाव
12. बिचोलियों, ठेकेदारों, साहूकारों द्वारा शोषण
13. समृद्व लोगों द्वारा भूमि पर बलपूर्वक कब्जा
14. वनों का सरकारीकरण
15. शिकार का प्रतिबंध
16. उद्योगों की स्थापना में शासन द्वारा बेदखली
17. बाल मजदूरी
18. बांधों के निर्माण में बेदखली
19. खनिज दोहन में बेदखली
20. वन उपज आधारित घरेलु उद्यम की समाप्ति
21. स्त्रियों का दैहिक शोषण
22. संस्कृति की क्रमिक विनष्टता

परम्परागत आजीविका विकास हेतु सुझावः

ब्रिटिश काल से ही आदिवासियों के विकास पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यमों से ध्यान दिया जाने लगा था। स्वतंत्र भारत में योजनाबद्व विकास प्रारंभ हुआ। संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हजारों करोड़ रूपयों के व्यय पर भी आज विकास में कमी स्पष्ट दिखाई देती है। एक ओर जहां आरक्षण का प्रबल विरोध तो दूसरी ओर प्रबंल मांग का संघर्ष जारी है। आरक्षण का विरोधी वर्ग वह है, जो संविधान की निर्धारित समय सीमा में इनका इतना विकास कर देता कि ये इनके समतुल्य बन जाते और आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती। 69 वर्ष की बीती अवधि अधिक है, गुण दोषों की समीक्षा भी आवश्यक है। आजीविका विकास, उसकी योजना एवं क्रियान्वयन से संबधित निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते है –

1. मांझी जनजाति की समनामी /पर्यायवाची एवं उपजातीय समूह जो आरक्षण के अभाव में विगत 69 वर्षो में अन्य अनुसूचित जनजातियों से भी पिछड़ गई है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा कर उनका सर्वांगीण विकास करना।
2. मांझी जनजाति के परम्परागत पेषों में आधुनिक चुनौतियों के समकक्ष कुषलता निर्माण कर आजीविका संवर्धन करना।
3. मत्स्य पालन, मत्स्याखेटन हेतु निर्मित समितियों से अन्य उच्च जातियों की दखल को समाप्त करना एवं क्षेत्रीय आधार पर बाजार की व्यवस्था करना।
4. मत्स्य पालन एवं बीजोत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी का प्रषिक्षण प्रदान करना।
5. दुर्गम आदिवासी क्षेत्र, ग्रामों, टोलों तक आवागमन सुगम बनाना तथा शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पेयजल, विद्युत, दूरसंचार पहुंचाना तथा ऐसे रोजगारों का सृजन करना एवं उत्पादन को संरक्षित करना कि वे वन पशुओं का अहित न कर सकें तथा रोजगार की तलाश में शहरों एवं प्रदेश के बाहर पलायन ना कर सकें।
6. बंधुआ एवं बाल मजदूरी, ठेकेदारों, बिचौलियों साहूकारों के शोषण एवं ऋणग्रस्तता से पूर्णतया मुक्ति।
7. सामाजिक कुरीतियों, नशा आदि को मिटाते हुए लोक संस्कृति की पुर्नस्थापना एवं प्रोत्साहन।
8. उद्योग बांध खनिज कारणों से भूमि से बेदखली को यथासंभव बचाना।
9. विज्ञान एवं टेक्नालॉजी शिक्षा एवं रोजगार की पहुंच में बनी दूरी को मिटाना।

10. भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं योजना क्रियान्वकों पर कठोर नियंत्रण करना एवं योजना का समय सीमा में सद्व्यय न होने पर कठोर कार्यवाही करना।

संदर्भ साहित्य

1. एम. ए. षेरिंग, ''हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स'' एज रिप्रेजेन्ट इन बनारस, वाल्युम– ।–।। 1874, पुनः प्रकाषन कॉस्मों पब्लिकेषन दिल्ली –6
2. मि. जे. किट्स, ''ए कम्पेण्डियम आफ कास्ट्स एण्ड ट्राईब्स फाउण्ड इन इण्डिया'', 1885
3. विलियम क्रुक, ''ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ दी सेन्ट्रल प्रोविन्सेस ऑफ इन्डिया'', वाल्युम–।।,1896, मेक्मिलन कार्पो. लंदन
4. रसेल आर.बी., सेन्सस ऑफ इण्डिया, वाल्युम– xiii, पार्ट रिपोर्ट, 1901
5. रिजले एच.एच., पीपुल्स ऑफ इण्डिया, 1903
6. मार्टिन जे.टी., भारत की जनगणना, 1911
7. रसेल आर.व्ही.,हीरालाल– ''दि ट्राईब्स एण्ड कास्ट्स आफ दि सेन्ट्रल प्रोविन्सेस आफ इण्डिया'', मैकमिलेन एण्ड कार्पो. लिमिटेड, सेन्ट मार्टिन स्ट्रीट, लन्दन, 1916
8. लुआर्ड ई. – भारत की जनगणना, 1921
9. हट्टन जे. एच. तथा सिंह के. एन., सेन्सस ऑफ इण्डिया, 1931 ''दि रेसियल एफिनिटीज ऑफ दि पीपुल्स ऑफ इण्डिया'
10. भारत की जनगणना, 1961 (उत्तरप्रदेश)
11. दि ट्राईब्स आफ मध्यप्रदेश, म.प्र. शासन, 1964
12. रांगेयराघव, ''प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास'' 1990, आत्माराम एण्ड सन्स, कष्मीरी गेट, दिल्ली–1100
13. सिंह के.एस. एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, कोलकाता, 1992
14. सम्पूर्णानंद, काषी नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी विष्वकोष (खण्ड–4)
15. लोकुर कमेटी, भारत सरकार (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जोड़ने व घटाने के परीक्षण संबंधी कमेटी) 1967